राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

निर्णय दिनांक :– 16.02.2021

पीठासीन अधिकारी का नामः–शकुन्तला (आर.ए.एस.)

–: आदेश :–

प्रार्थी/अधिवक्ता व खाता दुरूस्ती प्रार्थना–पत्र एंव पटवारी हल्का **पाटोदा** व भू0अ0अ0नि0 **बिरमी** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार मलसीसर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण ग्राम **कमालसर** तहसील **मलसीसर** जिला झुंझुनूं की जमाबन्दी सम्वत् **2074–2077** के खाता संख्या **83** व खाता संख्या **156** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

क.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	**कमालसर**	खाता संख्या **83** के भूमि ख.न. **339** रकबा **0.9000** है., ख.न. **342** रकबा **1.5200** है. व ख.न. **343/461** रकबा **0.5000** है. कुल किता 03 रकबा **2.9200** है.	सुखला पुत्र सुन्दरराम	**सुखदेवा पुत्र सुन्दरराम**
2	**कमालसर**	खाता संख्या **156** के भूमि ख.न. **85/509** रकबा **1.2100 है0**, ख.न. **91** रकबा **0.6900 है0** व ख.न. **102** रकबा **1.1000** है. कुल किता 03 रकबा **3.0000** है0	सुखला पुत्र सुरजाराम	**सुखदेवा पुत्र सुन्दरराम**

नोटः– खाते के शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे।

शकुन्तला
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,मलसीसर

क्रमांकः– राजस्व/2021/ 320-22 दिनांक :– 25/02/2021

प्रतिलिपिः–

1. तहसीलदार मलसीसर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवायी जानी सुनिश्चित करें।
2. सुखदेवा पुत्र सुन्दरराम निवासी कमालसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू को सूचनार्थ।
3. आदेश रक्षित पत्रावली।

शकुन्तला
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कमालसर पटवार हल्का पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित खाता संख्या 83 के भूमि खसरा नंबर 339 रकबा 0.90 है0, खसरा नम्बर 342 रकबा 1.52 है0 व खसरा नम्बर 343/461 रकबा 0.50 है0 कुल किता 03 रकबा 2.92 है0 व खाता संख्या 156 के भूमि ख.नं. 85/509 रकबा 1.2100 है0, ख.नं. 91 रकबा 0.6900 है0 व ख.नं. 102 रकबा 1.100 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.00 है0 जमांबदी संवत 2074–77 में अंकित सुखला पुत्र सुन्दरराम व सुखला पुत्र सुरजाराम के स्थान पर सुखदेवा पुत्र सुन्दरराम दुरूस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगें। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारी:- शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बर...

सुखदेवा उम्र 65 वर्ष पुत्र सुन्दरराम जाति कुम्हार निवासी कमालसर तहसील मलसीसर जि...

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं।

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 16.02...

निर्णय

वादी ने जरिये अधिवक्ता दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती इस आशय का ... किया है कि ग्राम कमालसर पटवार हल्का पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद ... स्थित खाता संख्या 83 के भूमि खसरा नंबर 339 रकबा 0.90 है0, खसरा नम्बर 342 रकबा 1.52 ... व खसरा नम्बर 343/461 रकबा 0.50 है0 कुल किता 03 रकबा 2.92 है0 व खाता संख्या 156 ... भूमि ख.नं. 85/509 रकबा 1.2100 है0, ख.नं. 91 रकबा 0.6900 है0 व ख.नं. 102 रकबा 1.100 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.00 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि वादी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिस पर वादी अपने दर्ज हिस्से मुताबिक काबिज काश्त है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। वादी का नाम सहवान से खाता संख्या 83 में सुखला पुत्र सुन्दरराम तथा खाता संख्या 156 में सुखला पुत्र सुरजाराम दर्ज हो गया जबकी वादी का सही नाम सुखदेवा पुत्र सुन्दरराम है। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रार्थी ने अपने नाम के समर्थन में सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड व सरपंच का प्रमाण पत्र पेश किया है। अतः दावा पेश कर निवेदन किया है कि सुखदेवा पुत्र सुन्दरराम दर्ज करने का आदेश फरमावें। दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

बहस वाद पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद पत्र में अंकित सुखला पुत्र सुन्दरराम व सुखला पुत्र सुरजाराम के स्थान पर सुखदेवा पुत्र सुन्दरराम फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया ग्राम कमालसर पटवार हल्का पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित खाता संख्या 83 के भूमि खसरा नंबर 339 रकबा 0.90 है0, खसरा नम्बर 342 रकबा 1.52 है0 व खसरा नम्बर 343/461 रकबा 0.50 है0 कुल किता 03 रकबा 2.92 है0 व खाता संख्या 156 के भूमि ख.नं. 85/509 रकबा 1.2100 है0, ख.नं. 91 रकबा 0.6900 है0 व ख.नं. 102 रकबा 1.100 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.00 है0 में सुखला पुत्र सुन्दरराम व सुखला पुत्र सुरजाराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवान से सुखदेवा पुत्र सुन्दरराम के स्थान पर सुखला पुत्र सुन्दरराम व सुखला पुत्र सुरजाराम दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए वाद पत्र सेवामें पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से वादी के राजस्व रिकार्ड में उपर्युक्त त्रुटियां दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

न्यायालय ... मलसीसर